

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 16238 दिनांक 30/10/23

निमित्तः-- अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा।

विषय - पाटडी से भटगाव सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5ha)

संदर्भः-- MOEF & CC के सरकुलर दिनांक 29 जनवरी 2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में REC की बैठक अनुसार लगाई गई शर्त के क्रम में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती
 - a उल्लंघन की दिनांक - 26.5.2008
 - b कुल प्रभावित क्षेत्रफल- 1.5 है०
 - c NPV की राशि- 957780 प्रति है०
 - d शास्ती की गणना 26 मई 2008 से 30 सितम्बर 2023 तक
 $1.5 \times 5 \times 957780 = 7183350 /-$
 - E शास्ती की गणना 26 मई 2013 से 30 सितम्बर 2023 तक 12 % सामान्य ब्याज
 $7183350 \times (12/100) \times (124/12) = 8907354 /-$
 - f. कुल शास्ती - $7183350 + 8907354 = 16090704$
2. यदी प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20% शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती

$16090704 \times (20/100) = 3218141 /-$ होगी।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/

प्रतिलिपिः-- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः--

- 1.अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023